



आगरा विकास प्राधिकरण  
जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना सं०-०५५/वि./यां./१८-१९

दिनांक : २६-९-१९

**अल्पकालीन निविदा सूचना**

आगरा विकास प्राधिकरण में विद्युत/यांत्रिक खण्ड में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ. क्यू. धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आयुक्त कार्यालय परिसर में नये पोल तथा एल.ई.डी. लाइट लगाकर पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	5.00	10,000/-	560/-	01 माह	ई श्रेणी	वि./यां.
2	एम.जी.-2 175' रोड सोनारी चौराहे पर स्थापित स्ट्रीट लाइट पोल पर एल.ई.डी. फ्लड लाइट लगाने का कार्य।	2.04	4,100/-	560/-	01 माह	ई श्रेणी	वि./यां.

**नियम व शर्तें:-**

- उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 05.10.2018 को आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदायें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 05.10.2018 को अपराह्न 03:00 बजे तक डाली जा सकेगी तथा उसी दिन निविदादाता अथवा इनके प्रतिनिधि के समक्ष 03:30 बजे खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से दिनांक 01.10.2018 से 04.10.2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक निविदा मूल्य भुगतान कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
- वांछित धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से, जो कि अधिशासी अभियन्ता (वि./यां.) के पक्ष में बंधक की गई हो। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा सीलबन्द कर दी जायेगी।
- निविदा डालने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की स्थिति का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियन्ता (वि./यां.) से कर लें। निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता का कोई भी पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगी।
- निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।
- सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे-पिता, माता, पुत्र, पुत्री पत्नी एवं भाई आदि भी प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नहीं है अथवा प्रश्नगत् निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नहीं है।

9. विद्युत सम्बन्धी कार्य उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
10. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकारी निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

1  
अधिशायी अभियन्ता  
(वि०/या०)

पत्रांक : 934/डी/ई.ई.(ई.)/2018, दिनांक : 26-9-18

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदया को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव/वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी निविदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

D  
अधिशायी अभियन्ता  
(वि०/या०)